

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)
छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(क)/(ख) के अंतर्गत
परमिशन वाद संख्या 178 वर्ष 2023

आवेदक-दुर्गा मॉझी
 ग्राम - टेंगीकुदर टोला जाराटॉड
 थाना - जरीडीह जिला-बोकारो

क्रेता- मंगल राम टुडू
 ग्राम - टेंगीकुदर टोला जाराटॉड
 थाना -जरीडीह जिला- बोकारो

आदेश की क्र० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।														
01	02	03														
15/05/23	आदेश यह वाद आवेदक दुर्गा मॉझी पिता स्व० घासीराम मॉझी टोला जाराटॉड निवासी ग्राम टेंगीकुदर टोला जाराटॉड थाना जरीडीह जिला -बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(क))/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवत:- <table><tr><td>मौजा</td><td>थाना न०</td><td>खाता न०</td><td>प्लॉट न०</td><td>कुल रकबा</td><td>बिक्री रकबा</td><td>भूमि दर्जा</td></tr><tr><td>टेंगीकुदर</td><td>08</td><td>21</td><td>575</td><td>2.73 ए०</td><td>12 डी०</td><td>कृषि योग्य</td></tr></table> को वे अपने पुत्री की शादी हेतु मो० 1,00,000/- (एक लाख) रुपये में क्रेता- मंगल राम टुडू पिता स्व० चुनकू मॉझी निवासी ग्राम टेंगीकुदर टोला जाराटॉड थाना जरीडीह जिला- बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 188/रा० दिनांक 25.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, जरीडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, जरीडीह के पत्रांक 308 दिनांक 19.04.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:- 01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संथाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता ग्राम टेंगीकुदर टोला जाराटॉड थाना-जरीडीह जिला-बोकारो का निवासी है। 02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में दुबराज मॉझी वल्द मंगला मॉझी कौम संथाल के नाम से दर्ज है तथा जमाबन्दी दुबराज मॉझी के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं० 24/1 में दर्ज है एवं लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। बिक्रेता को यह भूमि आपसी बँटवारा द्वारा हासिल है। 03. जमाबंदीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध परदादा-परपोता का है। बिक्री वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अन्तर्गत आता है जिसपर बिक्रेता का दखल कब्जा है। 04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, सी०सी०एल० अधिग्रहित क्षेत्र, से बाहर है। उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके पूर्वज दुबराज मॉझी वल्द मंगला मॉझी के नाम सर्वे	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा	टेंगीकुदर	08	21	575	2.73 ए०	12 डी०	कृषि योग्य	19/05/23
मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा										
टेंगीकुदर	08	21	575	2.73 ए०	12 डी०	कृषि योग्य										

खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी दुबराज मौंझी के नाम से चल रही है। बिक्री वाली जमीन बिक्रेता के अपने-अपने हिस्से की है जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में आवेदक के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. विक्रेता-दूबराज मौंझी वल्द मंगला मौंझी वगैरह के नाम सर्वखतियान की छायाप्रति, दुबराज मौंझी के नाम लगान रसीद की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता- जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवासीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी जरीडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संचाल जाति के सदस्य हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही, ग्राम, टोला थाना एवं जिलान्तर्गत निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की खतियानी जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः वाद आवेदक दुर्गा मौंझी पिता स्व० घासीराम मौंझी निवासी ग्राम टेंगीकुदर टोला जाराटॉड थाना जरीडीह जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि :-

मौजा	खाता न०	प्लॉट न०	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
टेंगीकुदर	21	575	2.73 ए०	12 डी०	रास्ता	परती	विक्रेता एवं हिस्सेदार	अघनु मौंझी वगैरह

कुल 12 डी० (बारह) डिसमिल जमीन मात्र।

मो० 1,00,000/- (एक लाख रुपये) या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता- मंगल राम टुडू पिता स्व० चुनकू मौंझी निवासी ग्राम टेंगीकुदर टोला जाराटॉड थाना जरीडीह जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।